	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	Regd. No. RJ. 2539 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 12 गुरूवार, शाके 1913 – जनवरी 2, 1992 Pausa 12, Thursday, Saka 1913-January 2, 1992	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेश, उपविधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 1991

जी.एस.आर. 82 :– राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का राजस्थान अधिनियम संख्या 5) की धारा 21 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 जिसके संशोधित नियम, राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) (संशोधित) नियम, 1983 जो इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी, 1984 द्वारा राजस्थान राज–पत्र विशेषांक भाग 4 (ग) उप–खण्ड (I) दिनांक 22 फरवरी, 1984 में प्रकाशित हुये उसके क्र.सं. 9 में वर्णित नियम 11 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) (संशोधन) नियम,1991 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. **नियम–11 का संशोधन :–** (1) पूर्व की अधिसूचना संख्या 10 (38) राज– 8182 जो राजस्थान राज–पत्र विशेषांक के भाग 4 (ग) उप खण्ड (I) दिनांक 22 फरवरी, 1984 में प्रकाशित नियम 11 को कोष्ठक ''(11) '' में अंकित किया है के कोष्ठक को समाप्त किया जाता है। उसे नियम ''11'' में पढा जावें।

(2) नियम 11 के उप–नियम (4) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है।

11. (4) ''यह निविदा प्रपत्र (तेन्दू पत्ता क्रय हेतु) संशोधित वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय से प्रत्येक प्रपत्र के लिये 30/– रू. की देनगी पर प्राप्त होगा। यह देनगी वन विभाग द्वारा रूपया स्वीकार करने की मान्यता प्राप्त तरीको में से किसी के अनुसार की जायेगी।''

{संख्या एफ.10(38)वन/89}

राज्यपाल के आदेश से

चन्द्र प्रकाश,

शासन सचिव।

———————